

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :-श्री देवीलाल डांगी

विपक्षी :-राज्य

किस्म मुकदमा :-विविध आ.9नि.9

पत्रावली संख्या :-201/25 विविध

जीसीएमएस नम्बर :-2025/621

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक : 12.03.2026</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस का निवेदन किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार की सुनी गई।</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। जहाँ तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुति में हुये विलम्ब की अवधि का प्रश्न है तो इस संबंध में प्रार्थीगण का कथन है कि प्रकरण में 28.06.2024 की पेशी वास्ते साक्ष्यवादी नियत थी। लेकिन उक्त दिनांक की जानकारी अधिवक्ता द्वारा नहीं दिए जाने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके तथा अधिवक्ता भी अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण उपस्थिति नहीं दे सके। हम प्रार्थीगण न्यायालय में पेशी की जानकारी लेने आए तब ज्ञात हुआ की प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया। हम प्रार्थीगण को जानकारी होते हुए नकले प्राप्त कर तत्काल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए था। परन्तु जैसे भी विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत न्यायालय को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुती में हुये विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है एवं देरी की अवधि को कन्डोन किया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p>मूल पत्रावली संख्या 152/13 वाद उनवान केवा वगैरह बनाम राज्य का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 28.06.2024 को वादीगण मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर वाद अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया था। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि मूल प्रकरण कृषि भूमि में घोषणा का था। जिसको केवल मात्र अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया। जिसमें कृषि भूमि में हक अधिकार तय नहीं किए गए। प्रकरण साक्ष्यवादी जिरह की स्टेज पर है। हम प्रार्थीगण द्वारा बताए गए विभिन्न</p>	



कारणों से सहमत है। प्रकरण कृषि भूमि में घोषणा का होने से प्रार्थीगण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस कारण से मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्र.स. 152/13 वाद उनवान केवा वगैरह बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 28.06.2024 को अपास्त किया जाता है तथा मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने के आदेश दिये जाते हैं। उभय पक्षकारान मूल वाद में दिनांक 18.06.2026 को उपस्थित रहे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडियाRAS)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली